प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 मार्च, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश गिरी पुत्र श्री चन्द्रमा गिरी, निवासी जनपद-गाजीपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-23098/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-24.07.2024) दिनांक-01.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश गिरी पुत्र श्री चन्द्रमा गिरी, ग्राम-बबुरा मदनही, थाना-नन्दगंज, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। रास्ते के विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 14.05.2001 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, दोनाली बन्दूक, एकनाली बन्दूक व कट्टा से गोली मारकर अनिल गिरी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं 01 व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-171/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149,307/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-03 गाजीपुर के आदेश दिनांक 10.01.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.03.2010 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 01.04.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष 14 दिन तथा 16 वर्ष, 09 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी को जेल में आगे और निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा बंदी द्वारा कृत अपराध जघन्य श्रेणी का अपराध होने, बंदी के छूटने पर अपराध करने से इन्कार नही किये जाने तथा वादी मुकदमा के परिवार में बंदी की समय पूर्व रिहाई से खतरा होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गई है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि रास्ते के विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 14.05.2001 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, दोनाली बन्दूक, एकनाली बन्दूक, व कट्टा से गोली मारकर अनिल गिरी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं 01 व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेश गिरी पुत्र चन्द्रमा गिरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश गिरी (बन्दी संख्या-1294/2010) पुत्र श्री चन्द्रमा गिरी, निवासी जनपद-गाजीपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-294/2024/3301(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-294/2025/1206/22-2-2024-17(567)/2024

दिनांक 24 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश गिरी पुत्र श्री चन्द्रमा गिरी, ग्राम-बबुरा मदनही, थाना-नन्दगंज, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। रास्ते के विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 14.05.2001 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, दोनाली बन्दूक, एकनाली बन्दूक व कट्टा से गोली मारकर अनिल गिरी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं 01 व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-171/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149,307/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-03 गाजीपुर के आदेश दिनांक 10.01.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.03.2010 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 01.04.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष 14 दिन तथा 16 वर्ष, 09 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी को जेल में आगे और निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा बंदी द्वारा कृत अपराध जघन्य श्रेणी का अपराध होने, बंदी के छूटने पर अपराध करने से इन्कार नही किये जाने तथा वादी मुकदमा के परिवार में बंदी की समय पूर्व रिहाई से खतरा होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गई है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि रास्ते के विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 14.05.2001 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, दोनाली बन्दूक, एकनाली बन्दूक, व कट्टा से गोली मारकर अनिल गिरी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं 01 व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेश गिरी पुत्र चन्द्रमा गिरी को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।